

प्रेषक,

प्रमुख सचिव  
ग्राम्य विकास विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी  
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग: देहरादून: दिनांक: फरवरी 07, 2019  
महोदय,

कृपया श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भात सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या J-16020/02/2019-MGNREGA/RE-VIII(365856) दिनांक 20 फरवरी 2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के भारत का राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 764(अ) दिनांक 7 फरवरी 2019 द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 2019 बनायी है जो दिनांक 15 फरवरी 2019 से लागू हुई है।


यह योजना भूमिहीन श्रमिकों सहित असंगठित कर्मकारों पर लागू होगी जो अन्य समान व्यवसाय में कार्य कर रहे हों। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों पर भी लागू होगी। उक्त पेंशन योजना से असंगठित कर्मकारों को प्रभावी रूप से जोड़ने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाना है। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य, जो अकुशल श्रमिक भी हो, को भी पंजीकृत किया जाय।

उक्त सम्बन्ध में अपर सचिव, ग्राम्य विकास के पत्र संख्या 817/148/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2018-19 दिनांक 22 फरवरी 2019 द्वारा भी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों को उपरोक्त योजना में पंजीकृत करते हुए योजना का लाभ पहुँचाया जाय तथा मासिक प्रगति सूचना से शासन को अवगत कराया जाय।


संलग्न : यथोपरि।

भवदीया

  
(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

  
(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव